न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 17 / 2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2023 / 177)

पीठासीन अधिकारी:–श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 ग्राम मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर जिला डीग(राज0)

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

2. गिर्राज सिंह
3. रूप सिंह

} पुत्रगण सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 ग्राम मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर

–फौरमल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 16.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 4955 / 0.33, 4978 / 0.33, 4979 / 0.02 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। वर्णित आराजी में हिस्सा 1/3 प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी का है तथा शेष हिस्सा 2/3 प्रार्थी के खास भाई फोरमल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की कब्जे काश्त व खातेदारी का है जिस पर प्रार्थी व फोरमल अप्रार्थीगण काबिज है। उक्त आराजी को हाल बन्दोवस्त में गत खसरा नम्बरान 5637 रकबा 2 वीघा 2 विस्वा, 5647 मिन रकबा 2 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग के बदले में बनाया गया है। प्रार्थी का सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल है तथा प्रार्थी को शुरू से ही इसी नाम से जाना जाता है और प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड,पैन कार्ड आदि में अतिमान पुत्र सुन्दरलाल दर्ज है तथा प्रार्थी की ग्राम मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर में भी खातेदारी की आराजी है जिसके राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 ग्राम मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर दर्ज है। गलत तरीके से प्रार्थी का नाम प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल नि0 सिनसिनी तहसील डीग दर्ज किया जा रहा है। जबकि प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल नामक कोई व्यक्ति नहीं है तथा सुन्दरलाल के तीन पुत्र प्रार्थी व फोरमल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है। इसलिए उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो प्रार्थी का गलत नाम प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल दर्ज किया जा रहा है तथा प्रार्थी के गॉव का नाम मुकन्दपुरा के स्थान पर सिनसिनी दर्ज किया जा रहा है उसे दुरूस्त करते हुए उसके स्थान पर सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 4955 / 0.33, 4978 / 0.33, 4979 / 0.02 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 ग्राम सिनसिनी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तहसील डीग के स्थान पर सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 ग्राम मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार जनूथर को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार जनूथर ने पत्रांक: एलआर/2023/335 दिनांक 30.10.2023 में अंकित किया गया है कि "ग्राम सिनसिनी द्वितीय के आराजी खसरा नम्बरान 4955/0.33, 4976/0.33, 4979/0.02 में वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 सिनसिनी तहसील डीग हि0 1/3 दर्ज रिकार्ड है। वादी/प्रार्थी का कहना कि उनका सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर है। प्रार्थी के सही नाम के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर से मंगवाया जाना उचित रहेगा।"

उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पेश किये जाने हेतु तहसीलदार कुम्हेर को लिखा गया। तहसीलदार कुम्हेर के पत्रांक:भू.अ./2024/5933 दिनांक 03.12.2024 से अवगत कराया गया है कि "मृतक सुन्दरलाल के तीन पुत्र रूप सिंह, अतिमान,गिर्राज है। मृतक सुन्दरलाल का प्रीतम नाम का कोई पुत्र नहीं है। ग्राम मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर में अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड,पैन कार्ड आदि में अतिमान पुत्र सुन्दरलाल दर्ज है।"

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थी का सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर है जबकि प्रार्थी का गलत रूप से नाम प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल नि0 सिनसिनी तहसील डीग दर्ज किया जा रहा है, चूँकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड,पैन कार्ड आदि में अतिमान पुत्र सुन्दरलाल दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के सही नाम दुरूस्त के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 4955/0.33, 4978/0.33, 4979/0.02 की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम सिनसिनी द्वितीय जिसमें प्रार्थी का नाम प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल व गॉव का नाम सिनसिनी दर्ज है। प्रदर्श-1, भू-प्रबंध विभाग मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 हाल साविक खसरा नम्बर 5637 व 5647 से बने है।प्रदर्श-2, खसरा गिरदावरी सम्बत 2034 से 2037 गत खसरा नम्बर 5647 जो प्रार्थी के पिता सुन्दरलाल के नाम दर्ज है,प्रदर्श-3, खसरा गिरदावरी सम्बत 2034 से 2038 साविक खसरा नम्बर 5637 जो सुन्दरलाल पुत्र दर्योजी के नाम दर्ज है। जिसके कॉलम नम्बर 16 में रूप सिंह अतिमान गिर्राज सिंह पिस0 सुन्दरलाल इ.नम्बर 25 से दर्ज हुए है। प्रदर्श-4 PW-1अतिमान, PW-2 गिर्राज, PW-3 रूप सिंह के शपथ पत्र,तहसीलदार डीग एवं तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का सही नाम अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर है जोकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल ग्राम सिनसिनी गलत दर्ज है। जमाबन्दी की वर्तमान प्रबिष्टि को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर अतिमान पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/3 जाति लोधा सा0 मुंकन्दपुरा तहसील कुम्हेर दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 4955 / 0.33, 4978 / 0.33, 4979 / 0.02 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग में स्थित है में प्रार्थी का नाम प्रीतम पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 ग्राम सिनसिनी तहसील डीग के स्थान पर अतिमान पुत्र सुन्दरलाल जाति लोधा नि0 मुकन्दपुरा तहसील कुम्हेर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner